# अध्याय – 3
# राज्य उत्पाद शुल्क

# अध्याय–3

# राज्य उत्पाद शुल्क

## 3.1 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, शासन स्तर पर विभाग के प्रशासकीय प्रमुख है। आबकारी आयुक्त विभाग प्रमुख है, जिनकी सहायता के लिए मुख्यालय ग्वालियर पर एक अपर आबकारी आयुक्त, तीन उपायुक्त आबकारी, संभागो में सात उपायुक्त आबकारी, सम्भागीय उड़नदस्ता, जिलों में 15 सहायक आयुक्त आबकारी तथा 54 जिला आबकारी अधिकारी होते है। जिले में कलेक्टर आबकारी प्रशासन को प्रमुख होता है तथा मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के फुटकर विक्रय की दुकानों के व्यवस्थापन के लिए सक्षम है साथ ही आबकारी राजस्व की वसूली के लिए भी उत्तरदायी है।

आसवनियों, बोतल भराई, संयंत्र (विदेशी मदिरा) तथा यवासवनियों में कार्य संचालन का परिवीक्षण जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा आसवनियों/यवासवनियों तथा बोतल भराई संयंत्रों में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारियों तथा उपनिरीक्षकों की सहायता से किया जाता है।

राज्य आबकारी राजस्व में, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अधिरोपित या आदेशित किसी शुल्क, फीस, शास्ति या राजसातकरण से प्राप्तियाँ संचिन्हित होती है। इसमें विक्रय के लिए मदिरा का विनिर्माण आधिपत्य तथा प्रदाय, भाँग एवं पॉपीस्ट्रॉ से प्राप्त राजस्व भी सम्मिलित होता है।

## 3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमारे द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य उत्पाद प्राप्तियों से सम्बन्धित 61 इकाईयों में से 36 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 19,948 प्रकरणों में ₹ 108.10 करोड़ की राशि का अवनिर्धारण, राजस्व की हानि एवं शास्ति का अनारोपण आदि प्रकट हुआ, जिन्हें आगामी **तालिका 3.1** में दर्शाये अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता हैं।

**तालिका 3.1**

(` करोड़ में)

| क्र. स. | श्रेणी | प्रकरणों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | फुटकर लायसेंसधारियो को अनुचित लाभ | 325 | 0.68 |
| 2 | सत्यापन प्रतिवेदनो की अप्राप्ति पर शुल्क की वसूली न होना | 2,106 | 2.57 |
| 3 | स्पिरिट/मदिरा की अधिक हानियों पर शास्ति/शुल्क का अनारोपण | 631 | 0.78 |
| 4 | मदिरा दुकानों से लायसेंस फीस की वसूली न होना/कम वसूली होना | 27 | 1.86 |
| 5 | देशी/विदेशी मदिरा का अनियमित प्रदाय | 2,058 | 5.93 |
| 6 | लायसेंस की शर्तो के उल्लघंन पर शास्ति का अनारोपण | 1,105 | 24.76 |
| 7 | अन्य प्रेक्षण | 13,696 | 71.52 |
| **योग** | | **19,948** | **108.10** |

वर्ष 2014–15 लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये 19,276 प्रकरणों में ₹ 86.45 करोड़ के अवनिर्धारण, शास्ति का अनारोपण एवं राजस्व की हानि को स्वीकार किया।

कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का, जिनमें ₹ 11.09 करोड़ की राशि अंतर्निहित है, उल्लेख निम्नलिखित कंडिकाओं में किया गया है।

## 3.3 परिवहन/निर्यात की गई विदेशी मदिरा/बीयर और मदिरा की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना

**विदेशी मदिरा लायसेंसधारियों द्वारा निर्यात/परिवहन की गई 7,78,21,068 प्रुफ लीटर विदेशी मदिरा एवं 5,88,918 प्रुफ लीटर बीयर जिसमें उत्पाद शुल्क ₹ 8.54 करोड़ की राशि अंतर्निहित थी, के आबकारी सत्यापन प्रमाण–पत्र गन्तव्य इकाइयों के प्रभारी अधिकारियों जो निर्यात/परिवहन के परमिट जारी करने हेतु प्राधिकरी को प्रस्तुत नहीं किये गये।**

हमने सहायक आबकारी आयुक्त छतरपुर, धार एवं रायसेन में निर्यात/परिवहन परमिट पंजियो एवं आबकारी सत्यापन प्रमाण–पत्र (ई.वी.सी.) की प्राप्ति पंजियो में अवलोकित किया (जुलाई 2014 से जनवरी 2015 के मध्य) कि इन इकाइयों द्वारा जारी 340 परमिटों पर लायसेंसधारियों द्वारा 7,78,210.68 प्रुफ लीटर विदेशी मदिरा एवं 5,88,918 प्रुफ लीटर बीयर निर्यात/परिवहन की गई, जिसमें शुल्क ₹ 8.54 करोड शामिल थी।

यह देखा गया कि मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम के नियमों 12, 13 एवं 14 में दिये गये प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए विभाग ने (अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2014 के मध्य) निर्धारित शुल्क की वसूली किये बिना या बिना पर्याप्त बैंक गारंटी/शोधक्षम प्रतिभूति के साथ बंधपत्र निष्पादित कर जो अंतर्निहित शुल्क की राशि के बराबर हो, प्राप्त किये बिना ही निर्यात/परिवहन हेतु परमिट जारी कर दिये।

पुनः आगे यह देखा गया कि लायसेंसधारियो द्वारा गन्तव्य इकाइयों के प्रभारी अधिकारी से सत्यापन प्रमाण–पत्र, जिसमे शुल्क ₹ 8.54 करोड़ अन्तर्निहित थी, प्रस्तुत नही किये गये। उक्त वर्णित नियम के नियम–13 मे दिये गये प्रावधानो के अनुसार विभाग के द्वारा प्रस्तुत नही किये गये आबकारी सत्यापन प्रमाण–पत्रो हेतु शुल्क ₹ 8.54 करोड लगाया जाना था। ऐसा नही करने से शुल्क ₹ 8.54 करोड की प्राप्ति नहीं हो सकी।

हमारे द्वारा प्रकरणो को इंगित किये जाने के पश्चात सहायक आबकारी आयुक्तों ने बताया (जुलाई 2014 से जनवरी 2015 के मध्य) कि आबकारी सत्यापन प्रमाण–पत्र शीघ्र प्रस्तुत कर दिये जायेगें। हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि मदिरा के निर्यात/परिवहन से पूर्व पर्याप्त बैंक गारंटी/ बांड के साथ शोधक्षम प्रतिभूति प्राप्त नही की गई। इसके अलावा आबकारी सत्यापन प्रमाण–पत्र अभी तक (नवम्बर 2015) प्रस्तुत नही किये गये है। हमने शासन एवं विभाग को प्रकरण सूचित किया (जुलाई 2015)। शासन एवं विभाग का जवाब प्राप्त नही हुआ है (नवम्बर 2015)।

## 3.4 शास्ति का अनारोपण

### 3.4.1 भण्डागारो में देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध बनाये रखने मे असफल रहने वाले प्रकरणों पर शास्ति का अनारोण

**देशी मदिरा लायसेंसधारियो द्वारा बोतल बंद देशी मदिरा का नियमानुसार न्यूनतम स्कन्ध देशी मदिरा भण्डागारों में नही रखा गया। लायसेंसधारियो द्वारा नियमो का निरंतर उल्लघंन पर सहायक आबकारी आयुक्तो/जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा राशि ₹ 1.27 करोड शास्ति नही लगायी गयी।**

हमने छः सहायक आबकारी आयुक्तो[1] एवं पांच जिला आबकारी अधिकारियों[2] के अभिलेखों जैसे स्कन्ध पंजी, मासिक पंजी इत्यादि से अवलोकन (जनवरी 2014 से मार्च 2015 के बीच) किया कि 10 लायसेंसधारियो द्वारा (जुलाई 2011 से फरवरी 2015 के बीच) देशी मदिरा भण्डागारो मे बोतलबंद देशी मदिरा का न्यूनतम स्कन्ध नही रखा गया।

यह मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम 1995 के नियम 4(4) मे दिये गये प्रावधानो का उल्लघंन था, जिसके अनुसार लायसेंसधारियो को प्रत्येक विनिर्माण एवं स्टोरेज भण्डारगारो मे बोतलबंद मदिरा/परिशोधित स्पिरिट का एक न्यूनतम स्कन्ध रखना चाहिए, जो पिछले महीने सप्लाई किये गये पाँच दिनो के औसत के बराबर हो। यद्यपि मद्य भण्डारगार अधिकारियो द्वारा मासिक विवरणियों के माध्यम से न्यूनतक स्कन्ध न रखने की सूचना सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को दी, लेकिन सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी ने शास्ति का आरोपण नही किया हैं।

मध्य प्रदेश देशी स्पिरिट नियम 1995 के नियम 12(1) के अनुसार नियमो के लगातार उल्लघंन करने के कारण लायसेंसधारियो पर राशि ₹ 1.27 करोड की शास्ति अधिरोपित नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.27 करोड की शास्ति आरोपित नहीं हो सकी।

प्रकरणों को इंगित करने के पश्चात् सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी ने (जनवरी 2014 से मार्च 2015 के मध्य) बताया कि प्रकरण उच्च अधिकारियो को सूचित कर दिया गया है एवं नियमानुसार उचित कार्यवाही करने के पश्चात् लेखापरीक्षा को सूचित किया जावेगा। उत्तर मान्य नही है क्योंकि नियमों के अनुसार देशी मदिरा का न्यूनतम स्कन्ध न रखने के लिए प्रस्तावित शास्ति कर प्रकरणो को आबकारी आयुक्त की ओर भेजने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को (मई 2015) में सूचित किया गया था, उनके उत्तर (नवम्बर 2015) तक प्राप्त नही हुए।

### 3.4.2 निर्यात/परिवहन के दौरान विदेशी मदिरा/बीयर की अधिक हानियों पर शास्ति का अनारोपण

**विदेशी मदिरा एवं बीयर के निर्यात/परिवहन के दौरान क्रमशः 67,577.11 प्रुफ लीटर विदेशी मदिरा एवं बीयर के 51,413.57 बल्क लीटर जो विदेशी मदिरा के प्रकरण में अनुमत्य सीमा से 41,470.55 प्रुफ लीटर अधिक तथा बीयर के प्रकरण में अनुमत्य सीमा से 30,624.46 बल्क लीटर से अधिक थी, जिस पर विभाग द्वारा वसूली योग्य शास्ति ₹ 81.11 लाख आरोपित एवं वसूली नहीं की गई।**

हमने भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं मुरैना के सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालयो के विदेशी मदिरा बोतलभराई इकाइयो एवं आसवनियों के आबकारी सत्यापन प्रमाण–पत्र की जाँच में (अगस्त 2014 से जनवरी 2015 के मध्य) पाया कि छः लायसेंसधारियो द्वारा 1,05,31,197 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा एवं 83,15,527 बल्क लीटर बीयर का निर्यात/परिवहन किया गया है (अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2014 के मध्य) जो मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 16 एवं 19 परिवहन पर में दी गई अनुमत्य हानि पर 0.25 प्रतिशत की दर से क्रमशः 26,106.56 प्रुफ लीटर एवं 20,789.11 बल्क लीटर थी।

[1] छतरपुर, मुरैना, रायसेन, रतलाम, रीवा एवं उज्जैन।

[2] बालाघाट, बुरहानपुर, छिन्दबाडा, देवास एवं मन्दसौर।

विदेशी मदिरा एवं बीयर के परिवहन के 3016 प्रकरणों में पाया गया कि विदेशी मदिरा (स्पिरिट) का कुल नुकसान 67,577.11 प्रुफ लीटर था जो अनुमत्य सीमा से 41,470.55 प्रुफ लीटर अधिक था, इसी प्रकार बीयर का कुल नुकसान 51,413.57 बल्क लीटर पाया गया जो कि अनुमत्य सीमा से 30,624.46 बल्क लीटर अधिक थी।

शास्ति प्रावधानों के अनुसार अनुमत्य सीमा से अधिक नुकसान होने पर लायसेंसधारी शास्ति के भुगतान हेतु हेतु उत्तरदायी होगा, जो उस समय विदेशी मुद्रा पर लागू शुल्क से अधिक नही होगी। इस प्रकार छः लायसेंसधारियो पर ₹ 81.11 लाख की शास्ति लगाई जानी चाहिए थी। यद्यपि भण्डार प्रभारी द्वारा त्रैमासिक विवरणियों के माध्यम से मदिरा में अधिक नुकसान की जानकारी आसवनियों के जिला आबकारी अधिकारियों को दी गई थी, विभाग द्वारा शास्ति का आरोपण एवं वसूली नही की गई। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 81.11 लाख की शास्ति की प्राप्ति नही हो सकी।

प्रकरणों मे हमारे द्वारा इंगित करने के बाद (अगस्त 2014 से जनवरी 2015 के मध्य) सहायक आबकारी आयुक्त भोपाल, ग्वालियर एवं मुरैना ने (अगस्त 2014 से जनवरी 2015 के मध्य) बताया, कि शास्ति आरोपित कर वसूली की जावेगी, जबकि सहायक आबकारी आयुक्त इन्दौर ने (दिसम्बर 2014) में बताया, कि प्रकरण, सहायक आबकारी आयुक्त उड़नदस्ता इन्दौर के कार्यालय में लंबित है तथा वहाँ से निर्देश प्राप्त होने पर वसूली की जावेगी।

हमने प्रकरण शासन एवं विभाग को (मई 2015) प्रतिवेदित किया, उनके उत्तर प्राप्त नही हुए (नवम्बर 2015)।

### 3.4.3 देशी मदिरा के अधिक नुकसान पर शास्ति का अनारोपण

**देशी मदिरा के 34,10,716.70 प्रुफ लीटर परिवहन के दौरान अनुमत्य सीमा से 14,910.67 प्रुफ लीटर अधिक हानि के 726 प्रकरणों में विभाग ने ₹ 33.65 लाख की शास्ति वसूल नहीं की गयी।**

हमने सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय धार एवं तीन जिला आबकारी अधिकारियों (दतिया, होशंगाबाद वं सीहोर) के (जून और जुलाई 2014 के मध्य) भण्डागारों में संधारित अभिलेखों की जाँच में पाया कि अप्रैल 2011 से अप्रैल 2013 के मध्य देशी मदिरा विनिर्माण भण्डागारो से 34,10,716.70 पी.एल. देशी मदिरा परिवहन हेतु 726 परमिट जारी किये गये थे, जिनके विरूद्ध 33,90,906.31 पी.एल.मात्रा प्राप्त हुई।

देशी मदिरा की हानि 19,810.19 प्रूफ लीटर की हुई जो कि मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम 1995 के नियम 10 के अनुसार हानि की अनुमत्य सीमा से 14,910.67 प्रूफ लीटर अधिक थी जिसके अनुसार परिवहन के दौरान पेट बोतलों के लिये 0.1 प्रतिशत तथा काँच की बोतलों के लिये 0.25 प्रतिशत हानि अनुमत्य थी।

उपरोक्त वर्णित नियम के अंतर्गत शास्ति की दर, देशी स्पिरिट उस समय विद्यमान प्रति प्रूफ लीटर शुल्क का अधिमतम तीन गुना परन्तु चार गुना से अनधिक आबकारी आयुक्त या उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमत्य सीमा से अधिक हानियों पर अधिरोपित की जावेगी। इस प्रकार न्यूनतम शास्ति ₹ 33.65 लाख लगाई जानी चाहिए थी। अधिकतम नुकसान के प्रकरणो की जानकारी त्रैमासिक प्रतिवेदन के माध्यम से सहायक आबकरी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को दी गई थी। तथापि सहायक आबकरी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित और वसूल नही की गई।

हमारे द्वारा इंगित करने के बाद जिला आबकारी अधिकारी दतिया, होशंगाबाद, सिहोर ने (जून एवं जुलाई 2014) तथा सहायक आबकरी आयुक्त धार ने (जुलाई 2014) बताया कि शास्ति अधिरोपित करने हेतु प्रकरणों को सक्षम प्राधिकारी की ओर भेजे गये है।

हमने प्रकरण शासन एवं विभाग को (मई 2015) प्रतिवेदित किया, उनके उत्तर प्राप्त नही हुए (नवम्बर 2015)।

### 3.4.4 एक्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की अधिक हानि पर शास्ति का अनारोपण

**मध्यप्रदेश से दूसरे राज्यों को 124 परमिटों के माध्यम से 41,84,740 प्रूफ लीटर एक्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल निर्यात की गई, जिसके विरूद्ध आयात करने वाले राज्य को 41,61,959 प्रूफ लीटर एक्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप, 8,369.48 प्रूफ लीटर की अनुमत्य सीमा से 14,411.50 प्रूफ लीटर अधिक हानि हुई। विभाग ने इस हानि के विरूद्ध लायसेंसधारियो से ₹ 13.26 लाख शास्ति के रूप में वसूल नहीं किये।**

हमने जिला आबकारी अधिकारी खरगौन के मैसर्स एसोसिएट एल्कोहल और ब्रेवरी लिमिटेड के आबकारी सत्यापन प्रमाण–पत्र की जाँच (जुलाई 2014) में पाया, कि 124 परमिटो से 41,84,740 प्रूफ लीटर एक्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल मध्यप्रदेश से दूसरे राज्यों को निर्यात (अप्रैल 2013 से अप्रैल 2014 के मध्य) किया गया, जिसके विरूद्ध आयातित राज्य को 41,61,959 प्रूफ लीटर एक्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल प्राप्त हुई, परिणामस्वरूप अनुमत्य सीमा 8,369.48 प्रूफ लीटर से 14,411.50 प्रूफ लीटर की अधिक हानि हुई।

मध्यप्रदेश डिस्टीलरी नियम 1995 के नियम 6(4) एवं 8(4) के अनुसार कि स्पिरिट/एक्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई.एन.ए.) को टेंकर द्वारा दूरी के हिसाब से एक आसवनी/भण्डारगार से दूसरे आसवनी में परिवहन या निर्यात करने पर रिसाव या वाष्पीकरण कुल निर्यात/परिवहन का 0.1 से 0.2 प्रतिशत तक हर अनुमत्य है।

अनुमत्य सीमा से अधिक नुकसान या कमी के प्रकरणो में लायसेंसधारी उस समय प्रचलित देशी स्पिरिट पर प्रति प्रुफ लीटर शुल्क से अधिक शास्ति के भुगतान हेतु उत्तरदायी था। इस प्रकार अनुमत्य सीमा से अधिक हानि पर विभाग द्वारा ` 13.26 लाख वसूली योग्य शास्ति लगाई जानी चाहिए थी, जो न तो लगाई गई और न ही वसूल की गई ।

इसके परिणामस्वरूप लायसेंसधारी से ` 92 प्रति प्रुफ लीटर के हिसाब से (2013–14 मे देशी स्पिरिट की प्रति प्रुफ लीटर शुल्क की दर पर) ` 13.26 लाख की प्राप्ति नही हो सकी। यद्यपि मदिरा के अधिक हानि के प्रकरणों की जानकारी जिला आबकारी अधिकारी को त्रैमासिक विवरणियों के माध्यम से दे दी थी। विभाग द्वारा शास्ति का आरोपण नही करते हुए वसूली भी नही की गई।

हमारे द्वारा इंगित करने के बाद विभाग मे उत्तर (सितम्बर 2015) में बताया, कि नौ प्रकरणों में शास्ति की राशि ` 52,376 वसूल कर ली गई है जबकि 123 प्रकरणों मे डिस्टीलरी ने 25 प्रतिशत राशि जमा करवा दी तथा आबकारी आयुक्त के न्यायालय से शास्ति आरोपण के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। हांलाकि विभाग ने अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है।

हमने प्रकरण शासन एवं विभाग के (मई 2015) संज्ञान में लाया, शासन का उत्तर (नवम्बर 2015) प्राप्त नहीं हुआ।

## 3.5 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आबकारी आयुक्त कार्यालय में आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। इसका प्रमुख संयुक्त संचालक होता है, जो मध्यप्रदेश कोष एवं लेखा के अधिकारियो के सहयोग से विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्य का निष्पादन करता है।

विभाग प्रतिवर्ष अधिनस्थ कार्यालयो की लेखापरीक्षा हेतु रोस्टर तैयार करता है। हालांकि, विभाग ने सूचित किया, कि विभाग प्रमुख एवं दूसरे स्टाफ के शाखा कार्यालयों मे व्यस्तता के कारण वर्ष 2014–15 मे रोस्टर पद्धति के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा का संचालन नही हो सका। विभाग ने 2014–15 में 16 इकाइयो की लेखापरीक्षा की और इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो में 96 सामान्य प्रकृति के पैराग्राफ लिये गये तथा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय मेन्यूअल के अनुसार कार्य करें।

पिछले वर्षो के दौरान इकाइयों की योजना, लेखापरिक्षित आपत्तियो की संख्या, निराकृत एवं शेष आपत्तियों का विवरण निम्नलिखित **तालिका 3.2** में दिया गया है:–

**तालिका 3.2**

| वर्ष | रोस्टर के अनुसार इकाईयां | लेखापरीक्षित ईकाइयां | रोस्टर से कम लेखापरीक्षित इकाईयां | कमी का प्रतिषतं | शामिल की गई कंडिकाएं | निराकृत की गई कंडिका | वर्ष के अन्त मे शेष बची कंडिकाएं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2010–11 | 50 | 41 | 09 | 18.00 | 60 | 07 | 117 |
| 2011–12 | 50 | 16 | 34 | 68.00 | 64 | 12 | 169 |
| 2012–13 | 50 | 16 | 34 | 68.00 | 111 | 10 | 270 |
| 2013–14 | 35 | 08 | 27 | 77.14 | 41 | 00 | 311 |
| 2014–15 | – | 16 | – | – | 96 | 00 | 407 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग मे आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु 2010–11 से 2013–14 तक रोस्टर पद्धति के अनुसार बनाये गये प्लान के लक्ष्य को प्राप्त नही किया। कमी लक्ष्य में 2010–11 से 2013–14 तक 18 प्रतिशत से 77.14 प्रतिशत रही। विभाग ने 2014–15 में रोस्टर पद्धति के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा का संचालन नही किया और 69 इकाइयों में से केवल 16 इकाइयों की लेखापरीक्षा हुई। आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति को मजबूत करने हेतु या आवश्यक है कि विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई अनियमितताओं को दूर करे, जिनकी इस अध्याय में चर्चा की गई है।